अनुबंध बी

अनुसूची I
[देखें विनियम 4(बी)]

भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति के भारत में शाखा कार्यालय के लिए अनुमत कार्य (गतिविधियां)

i. वस्तुओं/माल का निर्यात /आयात।

ii. व्यावसायिक अथवा परमर्शी सेवाएं प्रदान करना।

iii. मूल कंपनी से संबंधित अनुसंधान कार्य करना।

iv. भारतीय कंपनियों और मूल कंपनी अथवा विदेशी समूह कंपनी के बीच तकनीकी और वित्तीय सहयोग को बढ़ाना।

v. मूल कंपनी का भारत में प्रतिनिधित्व करना और भारत में खरीद/बिक्री एजेंट के रूप में कार्य करना।

vi. भारत में सूचना प्रोद्योगिकी और सॉफ्टवेयर के विकास के लिए सेवाएं प्रदान करना।

vii. मूल / समूह कंपनियों द्वारा आपूर्त किये गये उत्पादों के संबंध में तकनीकी सहायता प्रदान करना।

viii. विदेशी विमानन/जहाजरानी कंपनी का प्रतिनिधित्व करना।

अनुसूची-II
[विनियम 4(बी) देखें]

भारत से बाहर के निवासी किसी व्यक्ति के भारत में संपर्क कार्यालय के लिए अनुमत कार्य(गतिविधियां)

i. भारत में मूल कंपनी / समूह कंपनी का प्रतिनिधित्व करना।

ii. भारत से / भारत में निर्यात-आयात को बढ़ाना।

iii. मूल कंपनी / समूह कंपनियों और भारत स्थित कंपनियों के बीच तकनीकी/वित्तीय सहयोग को बढ़ाना।

iv. मूल कंपनी और भारतीय कंपनियों के बीच सूचना माध्यम के रूप में कार्य करना।